न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 56/23 GCMS NO 2023/161

1. प्रभूलाल पुत्र सुखपाल
2. शन्तो पत्नि मीठालाल जातियान मीना निवासीयान गंभीरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. पप्पू पुत्र सांवल्या
2. राजेन्द्र पुत्र जमनालाल
3. मथुरा पत्नि जमनालाल
4. फोरन्ती पत्नि जमनालाल
5. दिलराज पुत्र जमनालाल नाबालिंग जरिये संरक्षक माता फोरन्ती पत्नि जमनालाल

समस्त जातियान मीना निवासीयान गंभीरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 29/20 निर्णय दिनांक 11.4.23 न्यायालय उपजिला कलक्टर, मलारना डूँगर)

अभिभाषक अपीला0 श्री आर0के0मीना

अभिभाषक रैस्पो0 श्री श्याम सुन्दर गुप्ता

दिनांक 10.3.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 11.4.23 न्यायालय उप जिला कलक्टर, मलारना डूँगर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि ग्राम गंभीरा के साबिक ख0न0 340 रकबा 9 बीघा 10 विस्वा मे कई व्यक्तियो के मकान बाडे आदि बने हुए है एवं प्रार्थीगण के भी बाडे एवं मकान बने हुए है। प्रार्थी एवं अन्य लोग रहवास हेतु उक्त भूमि को काम मे लेते आ रहे है। साबिक ख0न0 340 ग्राम गंभीरा के पास होने के कारण ग्राम के वासियो ने उक्त भूमि पर बाडे,मकानात बनाकर रहवास करते चले आ रहे है तथा अपने जानवर ,कृषि उपकरण आदि के उपयोग उपभोग मे लेते चले आ रहे है। जिस हेतु ग्राम पंचायत गंभीरा द्वारा आबादी विस्तार हेतु उक्त ख0न0 340 व अन्य पास वाले ख0न0 को आबादी मे परिवर्तित करवाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जिस पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश दिनांक 3.6.22 द्वारा ख0न0 340 रकबा 9 बीघा 10 विस्वा मे से 3 बीघा एवं ख0न0 401/1/1 रकबा 14 बीघा 7 विस्वा मे से 3 बीघा एवं ख0न0 402 रकबा 5 बीघा 4 विस्वा मे से [illegible] एवं ख0न0 493 रकबा 16 बीघा 1 विस्वा मे से 2 बीघा इस प्रकार कुल 10 [illegible] की गई तथा उक्त आदेश मे स्पष्ट दर्ज किया गया कि जिस स्थान पर जिस [illegible] कब्जा है उसे उसी [illegible] पर भूमि आवंटित की जावेगी। प्रार्थीगण साबिक ख0न0 340 जिस [illegible] हाल ख0न0 408 [illegible] अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:47:35 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

मकानात एवं बाडे बनाकर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। जिसमे किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नही थी। किन्तु हाल ख0न0 408 रकबा 0.04 है0 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज नही करके सांवल्या पुत्र रामपाल मीना के नाम दर्ज कर दी गई जो गलत दर्ज की गई है। जिसे प्रार्थीगण सही कराने के अधिकारी है। ख0न0 408 पर सदैव से प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। सांवल्या का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है ना ही आज है। भूमि की खातेदारी सांवल्या के नाम दर्ज होने के कारण विवाद होना चालू हो गया है। वादीगण की कब्जेशुदा भूमि की सीमाओ मे पूरब मे कमल मीना का बाडा, पश्चिम मे सांवलराम का बाडा,उत्तर मे आम रास्ता तथा दक्षिण मे कुवे पर जाने के रास्ते के मध्य प्रार्थीगण की भूमि स्थित है। दिनांक 24.10.20 को प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण एकराय होकर आ गये तथा प्रार्थीगण को भूमि से कब्जा करने एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हो जाने से वाद कारण उत्पनन हुआ। प्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियो से हुई गलती को तहसील मे चलकर सही कराने की कहने पर उनके द्वारा साफ इंकार कर दिया गया। सांवल्या पुत्र रामपाल मीना का स्वर्गवास हो गया अप्रार्थीगण 1 ता 5 सांवल्या के वारिस है। उक्त भूमि से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा होने एवं रहन बेचान करने पर आमादा है । इस प्रकार अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि उक्त भूमि ख0न0 408 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम गंभीरा मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे अप्रार्थीगण मजाहमत नही करे रहन बेचान एवं मुन्तकिल नही करे। प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल नही करे। मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर उसमे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण अपने परदादा के समय से ग्राम गंभीरा मे निवास कर साबिक ख0न0 340 रकबा 9 बीघा 10 विस्वा आबादी मे बीचो बीच मे निवास करते आ रहे है। साबिक ख0न0 340 के अन्दर अपीलाटगणो द्वारा 6 गेह की पाटोर बनाकर परिवार सहित निवास करते चले आ रहे है तथा पालतु जानवरो हेतु तार फेंसिंग कर बाडा बना रखा है। जो तहसीलदार मलारना डूँगर की फर्द मौका रिपोर्ट से स्पष्ट होने के बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध साबिक ख0न0 की जमाबंदी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपीलांटगणो के नाम रिकार्ड मे होते हुए भी एवं भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दिनांक 6.1.23 को तहसीलदार की अनुपालना मे ग्राम गंभीरा स्थित आराजी साबिक ख0न0 340 हाल ख0न0 408 रकबा 0.04 है0 के मौके पर पहुँचा है। मौके पर वादी प्रभुलाल व शन्तो और उपस्थित जनो की मौजूदगी मे सरपंच ग्राम पंचायत गंभीरा,हनु[illegible] ,रमेश ,भैरूलाल मीना आदि लोगो की मौजूदगी मे साबिक ख0न0 340 [illegible] उक्त भूमि पर मौके पर 6 गेह की पाटौर तथा छ सात [illegible] जानवरो के लिए तार फेंसिग कर बना बना रखा है। वर्तमान मे मौके की रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय मे समक्ष होने के बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है। वह निरस्त योग्य है। खसरा न0 340 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:47:35 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

वर्तमान ख0न0 408 मिलान क्षेत्रफल के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जब ये साबिक ख0न0 थे तब से ही अपीलाट का कब्जा चला आ रहा है परन्तु रेस्पो0 चालाक किस्म का व्यक्ति है। जिन्होने राजस्व अधिकारियो से मिलकर राजस्व रिकार्ड मे साबिक ख0न0 340 हाल ख0न0 408 पर अपना नाम दर्ज करवा लिया। जो सरासर गलत है। उक्त ख0न0 का अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार भू अभिलेख अधिकारी द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि उक्त आराजीयात ख0न0 पर रेस्पो0 का कभी कब्जा नही रहा है ना ही वर्तमान मे है। रिपोर्ट और गवाहान के अनुसार मौके पर 6 गेह पाटौर व बाडा तार फेंसिग युक्त दर्शित करता है। इस विवादित जमीन पर अपीलांटगण का ही कब्जा रहा है। कई उच्च न्यायालयो द्वारा ऐसे निर्णय पारित किये है जिसके अनुसार अगर कोई काश्तकार का लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है तो जमीन सरकार की भी हो तो उसको बेदखल नही किया जा सकता है। इस तथ्यो पर गौर नही कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से निर्णय पारित किया है। अपीलांट जन्म से ही उक्त आराजीयात पर निवास कर अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। अपीलांट व रेस्पो0 एक ही गांव के एवं एक ही परिवार के सदस्य है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट के मकानात बाडे बने हुए है जिसके संबंध मे मौका कमिश्नर की रिपोर्ट स्पष्ट की गई है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यो को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा कर निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट द्वारा स्वयं ने विवादित आराजीयात की मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार मलारना डूँगर से मौके की स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 16.1.23 के अनुसार वर्तमान खसरा न0 408 रकबा 0.04 है0 मे पश्चिमी दिशा मे 0.03 है0 भूमि पर अप्रार्थी/रेस्पो0 पप्पू वगै0 का पुख्ता मकान मय बाउन्ड्री के कब्जा बताया गया है तथा पूर्व दिशा मे पप्पू वगै0 के मकान से लगते हुए करीब 0.01 है0 भूमि पर प्रार्थी/अपीलांट प्रभू वगै0 ने कच्ची पाटोरपोश व तार फेंसिंग कर पत्थर डालकर कब्जा किया होना अंकित किया है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट/प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि के सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा नही है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि उसका विवादग्रस्त आराजीयात पर अपने पूर्वजो के समय से ही कब्जा है तथा मकानात बनाकर निवास कर रहे है। जबकि सही तथ्य यह है कि विवादित आराजीयात ख0न0 408 रकबा 0.04 है0 गैर मुमकिन बाडा ग्राम गंभीरा रेस्पो0 सांवल्या पुत्र रामपाल जाति मीना की गैर खातेदारी मे दर्ज है जो जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 से स्पष्ट है। विवादग्रस्त आराजीयात के रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार है। जिनको कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाने के कारण एवं प्रार्थीगण/अपीलांट का विवादित आराजीयात पर [illegible] के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत ही प्रार्थी/[illegible] प्रार्थना पत्र विधिक रूप से खारिज किया गया है। अतःअपीलांट की अपील [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:47:35 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि विवादित आराजीयात साबिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

ख0न0 340 रकबा 9 बीघा 10 विस्वा जिसके नवीन न0 408 रकबा 0.04 है0 कायम हुए है। उक्त साबिक ख0न0 340 मे ग्राम वासियो द्वारा कच्चे/पक्के मकानात बनाकर पशुओ के लिए बाडा आदि बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर ग्राम पंचायत गंभीरा के प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर द्वारा उक्त भूमि मे से 3 बीघा भूमि आबादी हेतु आरक्षित करने के आदेश दिनांक 3.6.22 को दिये जाकर मौके पर जिस व्यक्ति का कब्जा है उसे उसी स्थान पर आवंटन की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। अपीलांट द्वारा भूमि आबादी मे परिवर्तित होने से पूर्व उक्त आराजीयात पर अपना कब्जा बताया गया है परन्तु उनके द्वारा इसके संबंध मे कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया है जिससे की उसका कब्जा सिद्व हो सके। अपीलांट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मगवाई गई है। जिसमे भी तहसीलदार द्वारा उक्त आराजीयात वर्तमान ख0न0 408 रकबा 0.04 है0 मे से 0.03 है0 पर रेस्पो/अप्रार्थीगण का कब्जा माना है। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड फोटोकॉपी नकल जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 के अनुसार ख0न0 408 रकबा 0.04 है0 गैर मुमकिन बाडा ग्राम गंभीरा सांवल्या पुत्र रामपाल जाति मीना की गैरखातेदारी मे दर्ज है। इस प्रकार अपीलांट/प्रार्थीगण के पक्ष मे प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन साबित नही होता है साथ ही अपीलांट को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की कोई संभावना प्रतीत नही होती है। अतःअपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के प्रकरण संख्या 29/20 मे पारित निर्णय दिनांक 11.4.23 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.3.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:47:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner